रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 1992/ज्येष्ठ 20, 1914
No. 355] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 1992/JYAISTHA 20, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1992

का.आ. 416(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी०एन० नाग होंगे।

[फा० सं० I-11034/57/92-आई०एस०डी०आई० (बी०)]

अशोक भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1992

S.O. 416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government being of opinion that it is necessary so to do hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Junstice P. N. Nag, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. I-11034|57|92-ISDI(B)]

ASHOK BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992